सेवा निवृत्ति पश्चात् रियायती यात्रा पास सुविधा

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक: एफ00()39()लेखा/नियम/93/7280 दिनांक: 12.10.93

(1)

कार्यालय-आदेश

निगम मण्डल की 156 वीं बैठक दिनांक 20.7.93 के प्रस्ताव संख्या 42/93 द्वारा निगम ने अपने सेवा निवृत्त अधिकारियों/कर्मचारियों के लिए रियायती यात्रा सुविधा लागू की है।

इस क्रम में निम्न निर्देश जारी किये जाते हैं:-

1. यह सुविधा केवल निगम के सेवानिवृत (Retired) अधिकारियों/कर्मचारियों को ही देय होगी। सेवापृथक (Terminated) एवं पदच्युत (Dismissed) कर्मचारियों को देय नहीं होगी।

2. इस आदेश के जारी होने से पूर्व सेवानिवृत हो चुके अधिकारियों/कर्मचारियों को अपना आवेदन उस इकाई के माध्यम से निगम मुख्यालय की नियम शाखा को प्रस्तुत करना होगा जिस इकाई से वे सेवानिवृत हुए हो। इस आवेदन में यह विकल्प प्रस्तुत करना होगा कि वे रियायती पास निगम की किस इकाई से प्राप्त करना चाहता है। ऐसे प्राप्त विकल्प पत्रों पर मुख्यालय की नियम शाखा से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही सम्बन्धित इकाई द्वारा सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी को रियायती कूपन बुक तथा पहचान-पत्र जारी किए जा सकेंगे।

3. भविष्य में सेवानिवृत होने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों को सामान्यत: उसी इकाई से रियायती यातायात सुविधा प्रदान कर दी जावेगी जहाँ से वे सेवानिवृत हुए हों। यदि कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी अन्य इकाई से ये सुविधा प्राप्त करना चाहता है तो उसे इस आशय का आवेदन इकाई प्रभारी के माध्यम से नियम शाखा को प्रस्तुत करना होगा जहाँ से स्वीकृति प्राप्त होने पर ही उसे पहचान पत्र एवं रियायती यात्रा पास प्राप्त हो सकेगा।

4. अधिकारी/कर्मचारी को देय एकल यात्रा रियायती पास केवल पति/पत्नि के उपयोग हेतु होंगे। *(after death पति से नहीं - Clarification 19.6.99)*

5. रियायती एकल यात्रा पास सुविधा केवल राजस्थान की सीमा के अन्दर-अन्दर संचालित वाहनों में ही देय होंगे।

6. रियायती एकल यात्रा पास द्वारा राजस्थान परिवहन सेवा संवर्ग के अधिकारियों को सुविधा वाहनों में भी व कर्मचारियों को केवल साधारण/द्रुतगामी बसों में ही रियायत दी जावेगी। (6)

7. अधिकारी/कर्मचारी को सेवाकाल में जारी रियायती यात्रा पास व पहचान पत्र आदि को सेवानिवृति के साथ ही इकाई प्रभारी को जमा कराना होगा तथा सेवानिवृति के बाद पृथक से पहचान पत्र व रियायती कूपन बुक जारी किए जावेंगे।

8. सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी को प्रतिवर्ष ~~10~~ 20 एकल रियायती यात्रा पास देय होंगे, जिन्हें परिचालक को प्रस्तुत कर 50% रियायती दर पर टिकिट प्राप्त कर सकेंगे। *(Amended on 21.5.06 to 20)*

9. वर्ष के अन्त में रियायती यात्रा पास के काउन्टर फोलियो/अप्रयुक्त कूपन जमा कराने के पश्चात ही नई यात्रा पास बुक जारी की जा सकेगी तथा पहचान-पत्र (A)

(2)

... किया जायेगा ।

10. ... सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी से उनको जारी रियायती यात्रा ... आते हैं तो उत वर्ष के लिये प्राप्त रियायती पास उपभोग किये ... । साथ ही वह रियायती यात्रा पास खोने की सूचना 15 दिवस ... अन्दर सम्बन्धित इकाई प्रभारी को देगा । समय पर सूचना न देने की स्थिति में उसे अगले एक वर्ष के लिए इस सुविधा से वंचित माना जायेगा ।

11. ... प्रभारी द्वारा रियायती यात्रा पास जारी करने से पूर्व निम्नांकित ... मोहरें रियायती यात्रा पास के प्रत्येक पृष्ठ पर लगाकर ही जारी होगी:-

... सेवानिवृत अधिकारी/कर्मचारी रियायती यात्रा पास ।

... वर्ष ---------- के लिए वैध ...

... रियायती यात्रा पास सुविधा हेतु परिपत्र-पत्र एवं कूपन जारी करने वाले ... पूर्ण दायित्व होगा कि इस सुविधा का दुरुपयोग न हो, इसके लिए ... जारी किये ... की संख्या व उनके उपभोग के बाद जमा करते समय पूर्ण सतर्कता बरते ... साथ ही यह संख्या एक वर्ष में 10 ही रहे यह भी व्यक्तिगत ... ।

... किसी प्रकार की समस्या या शंका होने पर वि.स. एवं मुख्य ... निर्देश प्राप्त करें ।

... आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक: ... लेखा/नियम/93/7280 दिनांक: 12.10.93

प्रतिलिपि ... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. समस्त विभागाध्यक्ष, रारापपनि, मुख्यालय, जयपुर ।
2. समस्त मुख्य उत्पादन प्रबन्धक, रारापपनि ...
3. समस्त ... प्रभारी प्रबन्धक ... रारापपनि, मुख्यालय, जयपुर ।
4. निजी सचिव-अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, रारापपनि, मुख्यालय, जयपुर ।
5. समस्त ... प्रबन्धक/प्रबन्धक (लेखा), रारापपनि, मु... ।

... प्रति ...

वि.स. एवं मुख्य लेखाधिकारी

(3)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक-एफ-1(13)(लेखा/नियम/139/98/ 39 दिनांक:- 2.1.99

परिपत्र

कुछ इकाईयों द्वारा मार्ग दर्शन चाहा गया है कि इस कार्यालय के आदेश क्रमांक एफ2(139)(लेखा/नियम/93/7280 दिनांक 12.10.93 के अन्तर्गत सेवापृथक (Terminated) एवं पदच्युत (Dismissed) कर्मचारियों को रियायती यात्रा सुविधा का लाभ देय होगा अथवा नहीं ।

संदेह के निराकरण हेतु पुनः स्पष्ट किया जाता है कि यह सुविधा केवल निगम की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर सेवा निवृत हुये कर्मचारियों/अधिकारियों के अलावा स्वैच्छिक एवं अनिवार्य सेवानिवृति के मामलों में सेवानिवृत हुये कर्मचारियों/अधिकारियों को भी देय होगी, परन्तु सेवापृथक एवं पदच्युत कर्मचारियों को यह सुविधा देय नहीं होगी ।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक-एफ4(13)(लेखा/नियम/139/98/ 39 दिनांक:- 2.1.99

प्रतिलिपि-निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- कार्यकारी निदेशक(प्रशा./यातायात) रा0रा0प0प0 निगम जयपुर
2- महाप्रबंधक( ) रा0रा0प0प0 निगम, जयपुर
3- संयुक्त महा प्रबंधक( )/उप महा प्रबंधक( ) रा.प. नि.जयपुर
4- कार्यकारी प्रबंधक( )/रजिस्ट्रार, रा0प0नि0, जयपुर
5- मुख्य उत्पादन प्रबंधक/लेखाधिकारी, रा0प0नि0, केन्द्रीय कार्यशाला-----------
6- मुख्य प्रबंधक/प्रबंधक(लेखा)/(प्रशा.) रा0प0नि0 ----------------------
7- निजी सचिव अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक, रा0प0नि0 जयपुर
8- व0 निजी सहायक वित्तीय सलाहकार, रा0प0नि0 जयपुर
9- रक्षित पत्रावली ।

(एम0एल0 गुप्ता)
उप महा प्रबंधक(वित्त)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर

क्रमांक- एफ4/लेखा/नियम/13(25)/99/4637 दिनांक:-17-6-99

परिपत्र

कुछ कार्यालयों द्वारा मार्ग दर्शन चाहा गया है कि निगम के मृतक कर्मचारी की पत्नी को निःशुल्क यात्रा पास सुविधा/रियायती पास सुविधा का लाभ देय होगा अथवा नहीं। संदेह के निराकरण हेतु स्पष्ट किया जाता है कर्मचारी की मृत्यु पश्चात उसकी पत्नी को राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कर्मचारी एवं परिवार निःशुल्क यात्रा पास (सरलीकृत) विनियम, 1985 के अन्तर्गत निःशुल्क यात्रा पास सुविधा एवं आदेश संख्या एफ2(169)/लेखा/नियम/93/7280 दिनांक 12.10.93 के अन्तर्गत रियायती यात्रा पास सुविधा देय नहीं होगी।

(पी0आर0 शर्मा)
वित्तीय सलाहकार

क्रमांक- एफ4/लेखा/नियम/13(25)/99/4637 दिनांक:-17-6-99

प्रतिलिपि- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1- कार्यकारी निदेशक(प्रशासन/यातायात) रा0रा0प0प0 निगम, जयपुर
2- महा प्रबंधक( )/संयुक्त महा प्रबंधक( ) रा0प0प0 निगम, जयपुर
3- उप महा प्रबंधक( )/कार्यकारी प्रबंधक( ) रा0 प0 निगम, जयपुर
4- मुख्य उत्पादन प्रबंधक/लेखाधिकारी, रा0प0 निगम, के0का0————
5- रजिस्ट्रार, रा0प0 निगम जयपुर
6- मुख्य प्रबंधक/प्रबंधक (लेखा) रा0प0 निगम ————
7- निजी सचिव, अध्यक्ष/प्रबंध निदेशक महोदय रा0प0 निगम जयपुर
8- वरिष्ठ निजी सहायक वित्तीय सलाहकार, रा0प0 निगम जयपुर
9- रक्षित पत्रावली।

(एम0 सी0 अग्रवाल)
संयुक्त महा प्रबंधक (लेखा)

(5)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, मुख्यालय जयपुर

क्रमांक:एफ4(13) / वित्त / नियम / 139--।।।/08/2986 दिनांक: 21.5.08

कार्यालय आदेश

निगम संचालक मण्डल के निर्णय संख्या 27 / 2008 के अनुसरण में इस कार्यालय द्वारा ज़ारी आदेश क्रमांक एफ2 (139)/ लेखा / नियम / 93 / 7280 दिनांक 12.10.93 में वर्णित निर्देश संख्या 5 एवं 8 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

निर्देश संख्या 5- रियायती एकल यात्रा पास सुविधा निगम की वाहनें जहां तक संचालित होती है, वहां तक के लिए देय होगी ।

निर्देश संख्या 8- सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रति वर्ष 20 एकल रियायती यात्रा पास देय होंगे, जिन्हें परिचालक को प्रस्तुत कर 50% रियायती दर पर टिकिट प्राप्त कर सकेंगे ।

उक्त संशोधन तुरन्त प्रभाव से लागू होंगे ।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक:एफ4(13) / वित्त / नियम / 139--।।।/08/ 2986 दिनांक: 21.5.08

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. निजी सचिव,-अध्यक्ष एवं प्रबन्धक निदेशक, राजस्थान परिवहन निगम, जयपुर
2. कार्यकारी निदेशक( ), रारापप निगम, जयपुर ।
3. महा प्रबन्धक( )/ संयुक्त महा प्रबन्धक( ),रारापप निगम,जयपुर
4. उप महा प्रबन्धक( )/कार्यकारी प्रबन्धक( ), रारापप निगम, जयपुर
5. सचिव –निगम, राजस्थान परिवहन निगम, जयपुर
6. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / लेखाधिकारी, केन्द्रीय कार्यशाला रारापप निगम----------
7. मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक( ), रारापप निगम, ----------
8. वरि. निजी सहायक,-वित्तीय सलाहकार, रारापप निगम, जयपुर
9. लेखाधिकारी / सहायक लेखाधिकारी, ( ), रारापप निगम, जयपुर
10. रक्षित पत्रावली ।

संयुक्त महा प्रबन्धक(वित्त)

(6)

राजस्थान परिवहन निगम, मुख्यालय, जयपुर।

क्रमांक–मुख्या / एफ4 / वित्त / नियम / 139– ।।। / 2011 / 1031   दिनांक– 22-02-2011

परिपत्र

निगम के सेवानिवृत अधिकारियों / कर्मचारियों को प्रति वर्ष 20 एकल रियायती यात्रा पास की सुविधा देय है जिस हेतु कर्मचारी से 60/– रूपये वसूल किये जाते हैं, परन्तु यह जानकारी मे आया है कि कई इकाईयों द्वारा सेवा निवृत कर्मचारियों से इस मद में 30/– रूपये वसूल कर 10 पास जारी किये जा रहे हैं।

अतः इस सम्बन्ध में समस्त इकाई प्रभारियों को निर्देशित किया जाता है कि सेवा निवृत अधिकारियों / कर्मचारियों से इस मद में 60/– रूपये एक मुश्त वसूल करते हुए 20 एकल रियायती यात्रा पास जारी किये जावे।

वित्तीय सलाहकार

क्रमांक–मुख्या / एफ4 / वित्त / नियम / 139– ।।। / 2011 / 1031   दिनांक– 22/02/2011

प्रतिलिपि–

1. निजी सचिव अध्यक्ष / प्रबन्ध निदेशक, राज0 परिवहन निगम,मु0 जयपुर को सूचनार्थ प्रेषित है।
2. कार्यकारी निदेशक(प्रशासन / यातायात / विधि / यॉन्त्रिक), मु0 जयपुर।
3. महा प्रबन्धक(   ) / संयुक्त महा प्रबन्धक(   ) रापनि,मुख्या0, जयपुर।
4. उप महा प्रबन्धक(   ) / कार्यकारी प्रबन्धक(   )रापनिगम, मु0,जयपुर।
5. सचिव निगम, राज0 परिवहन निगम,जयपुर।
6. जोनल मैनेजर, राज0 परिवहन निगम,........................जोन।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक / लेखाधिकारी, केन्द्रीय कार्यशाला,....................
8. लेखाधिकारी (बजट / टिकिट) / सुरक्षा अधिकारी, रापनिगम,मुख्यालय, जयपुर।
9. मुख्य प्रबन्धक / प्रबन्धक(   ), राज0 परिवहन निगम....................
10. वरिष्ठ निजी सहायक,वित्तीय सलाहकार, रारापपनिगम, मुख्यालय,जयपुर।
11. सहा0 लेखाधिकारी (   ), रारापप निगम, मुख्यालय,जयपुर।
12. आदेश पत्रावली।

संयुक्त महा प्रबन्धक (वित्त–नियम)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, जयपुर
वित्त (नियम) विभाग, मुख्यालय

क्रमांक:एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/139/2014/3248 दिनांक: 6/5/2014

कार्यालय आदेश

निगम के सेवानिवृत कर्मचारियों को वर्तमान मे देय यात्रा सुविधा के क्रम मे जारी आदेश क्रमांक एफ2/(139)लेखा/नियम/93/7280 दिनांक 12.10.1993 के निर्देश संख्या 6 एवं उक्त आदेश की निरन्तरता मे जारी आदेश क्रमांक एफ4(13)/वित्त/नियम/139-III/08/2986 दिनांक 21.05.2008 के निर्देश संख्या -8 मे निगम संचालक मण्डल की सभा दिनांक 29.04.2014 मे पारित निर्णय संख्या 24/2014 की अनुपालना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है।

निर्देश संख्या 6:-- कर्मचारी को सेवानिवृति के समय देय यात्रा पास सुविधा के अनुसार यह सुविधा प्रदान की जावेगी ।

निर्देश संख्या 8:-- सभी सेवानिवृत कर्मचारियो को वर्तमान मे 50 प्रतिशत किराया राशि भुगतान पर देय 20 एकल रियायती पास सुविधा के स्थान पर 10 एकल निशुल्क यात्रा पास दिये जावेगे ।

उक्त निर्देश तुरन्त प्रभाव से लागू माने जावे ।

(भास्कर ए. सावंत)
प्रबन्ध निदेशक

क्रमांक:एफ4(13)/मु./वित्त/नियम/139/2014/3248 दिनांक: 6/5/2014

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:--

1. निजी सचिव, अध्यक्ष /प्रबन्ध निदेशक, रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
2. कार्यकारी निदेशक( ) रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
3. महा प्रबन्धक ( ) रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
4. उप महा प्रबन्धक ( )/कार्यकारी प्रबन्धक( ), रा.रा.प.प.निगम, मु. जयपुर ।
5. निगम सचिव, रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
6. जोनल मैनेजर, रा.रा.प.प.निगम, ...जोन ।
7. मुख्य उत्पादन प्रबन्धक/लेखाधिकारी, के0का0 ....।
8. लेखाधिकारी ( ) , रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
9. मुख्य प्रबन्धक/प्रबन्धक (वित्त) रा.रा.प.प.निगम, ... ।
10. सहायक लेखाधिकारी ग्रेड- I ( ) रा.रा.प.प.निगम, मुख्यालय, जयपुर ।
11. आदेश /रक्षित पत्रावली ।

(के.के. गैडियोक)
वित्तीय सलाहकार